

श्रीमान,

श्रीमान श्री  
श्रीमान श्री  
श्रीमान श्री

श्रीमान,

श्रीमान श्री  
श्रीमान श्री  
श्रीमान श्री

श्रीमान श्री  
श्रीमान श्री

संख्या : दिनांक : 21 जुलाई, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शहरी गरीबों के लिये अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में आसरा योजनागत इन-सीटू आवासों की 01 परियोजना की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1018/179/10/छ:/विधि/आसरा/तकनीकी (हमीरपुर-सरीला-301) दिनांक 12 जून, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कक्ष का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 में निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित जनपद-हमीरपुर की निकाय-सरीला की 138 इन-सीटू आवासों की 01 परियोजना हेतु रु० 701.99 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, 34त के सापेक्ष तालिका के स्तम्भ-7 में अंकित प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् कुल धनराशि 350.995 लाख (रुपये तीन करोड़ पचास लाख नब्बानवे हजार पांच सौ मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	जनपद/निकाय का नाम	कुल आवासों की संख्या	परियोजना की कुल अपस्थापना सुविधाओं सहित कुल आवासीय लागत।	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों की संख्या	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों की अपस्थापना सुविधाओं सहित कुल आवासीय लागत।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत की जाये वाली धनराशि (सेन्टीज चार्ज एवं सेवर रोल सहित)।
1	2	3	4	5	6	7
1	हमीरपुर/सरीला	301	1531.16	138	701.99	350.995
योग				138	701.99	350.995


- उक्त धनराशि का व्यय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या- 33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी) दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।
- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवरस प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

श्रीमान श्री  
श्रीमान श्री

3. धनराशि व निर्माण के अनुपात को ध्यान रखते हुए पूर्ण आवासों के आवासीय अनुपात का प्राथमिक/सहायक कोषों के माध्यम से इस्तेमाल कराया जाएगा। साथ ही निचला/उच्च स्तरीय आवासों के निर्माण के लिए प्राथमिक/सहायक कोषों के माध्यम से निचला/उच्च स्तरीय आवासों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा।
4. उक्त धनराशि कोषों/प्रकारों का चयन एवं अनुपात प्रमाण/व्यय स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित यथासंभव/संभव के अर्थात् उपयुक्ततुल्य विहित मॉड में व्याप की जायेगी। यथासंभव/संभव परियोजना में मानक/विवरण, मापदंड एवं मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमत्त नहीं होगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दश में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एवैलेशन अनुमत्त नहीं होगा।
6. सूझ/डूझ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य सो. से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परियोजना के अन्तर्गत होवे एवं कार्य का दिरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे सूझ/डूझ द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रायोजनान्तर्गत कार्य उच्चस्तरीय परिवर्तन जैसे-रावे कार्य बढावा, कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य विशेषियाँ इस्तामाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समित द्वारा अनुमोदित कार्यो की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनते समय प्रायोजना लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनर्निश्चित प्रायोजना प्रस्ताव पर 02 माह के अन्दर व्यय वित्त समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. निर्माण कार्य आरम्भ करने के पूर्व इन-सिटू आवासों के भू-स्वामियों के भू-स्वामित्व का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
9. सूझ/डूझ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आसरा योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण से सम्बन्धित मजदूरीकरण के अनुसार ही आवास बनाये जाय व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
10. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सम्बन्धित डूझ द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परियादी का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि विन्दुओं सहित यथासंभव निर्देशों के अनुपालन पर आशरित होकर, तत्काल सम्बन्धित डूझ/डूझके माध्यम से निर्माण डूझ/डूझ को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आशरित हो लेंगे।
11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), 30प्र0, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊनर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक को सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते व पी0एम0ए0 में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रथमतः आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्रोत की कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतियोगियों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।




14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में तथा अगले आवक वर्ष 2016-17 में योजना-तर्गत प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत उक्त धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि व्यय हो जाने पर परिसूची तथा उसके सार्वजनिक आर्थिक प्रगति/गुणवत्ता से संतुष्ट होने के पश्चात् उपरोक्त धनराशि धनराशि शेष को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। तदोपरान्त योजना की अवशेष/द्वितीय किस्त को परिसूची अवमुक्त की जायेगी। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि बचे है, तो एकमुष्ट शेष को वापस करनी होगी।
  15. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ आहरण की पर्याप्त पर आवक लेख का मित्रान महालेखाकार के कार्यालय के लेख से अवश्य कार्याये।
  16. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण ड्राई से यथाव्यवस्था धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुदान (एमओओयू) निष्पादित किये जाने हेतु सूझा द्वारा सम्बन्धित ड्रा को निर्दिष्ट किया जायेगा।
  17. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यवय योजना आर्जन, भारत सरकार, राज्य सरकार तथा एसओएसओपी/टीओएसपी हेतु निर्धारित व्यवस्थानुसार केवल अनुसूचित जाति के लिए ही किया जायेगा।
2. उपरोक्त धनराशि का व्यवय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आवकव्ययक में अनुदान संख्या-33 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-शहरी आवास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-आसरा योजना (आवासीय भवन)-24-वृहद निर्माण कार्य।" के नाम डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-ई-3-2284/दस-2015 दिनांक 14 अगस्त, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
  
(एसओपी0 सिंह)  
विशेष सचिव(से)

संख्या-18<sup>0</sup>/2015/1543(1)/69-1-15, तद्विनंक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, हमीरपुर।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र0 शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
7. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, 30प्र0, शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूझा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आजा से,  
  
(एसओपी0 सिंह)  
विशेष सचिव।